



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16082021-229044
CG-DL-E-16082021-229044

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3075]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 16, 2021/श्रावण 25, 1943

No. 3075]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 16, 2021/SHRAVANA 25, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2021

का.आ. 3323(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट एनएच 21A (नया एनएच - 105) के 17.93 किमी. से 35.312 किमी. तक के भूखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/ चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

हिमाचल प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH21A तक की भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	उप मंडल अधिकारी (सिविल)	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH21A के	हिमाचल प्रदेश	सोलन	नालागढ़	1 नया नालागढ़ (139/2)

		कि.मी. 17.93 से 35.312 तक			
--	--	------------------------------------	--	--	--

[फा. सं. 11012/2/2016/LA/P-N/PIU-SML]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th August, 2021

S.O. 3323(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 17.93 to Km. 35.312 of the NH21A (New NH-105) for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of HIMACHAL PRADESH.

SCHEDULE**Land acquisition on National Highway No. NH21A in the State of HIMACHAL PRADESH.**

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Sub-Divisional Officer (Civil)	17.93 KM. To 35.312 KM.	HIMACHAL PRADESH	SOLAN	Nalagarh	1 Naya Nalagarh (139/2)

[F. No. 11012/2/2016/LA/P-N/PIU-SML]

RAJESH GUPTA, Director